प्रेस नोट थाना मदनापुर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 27.09.25

मिशन शक्ति फेज़ 5.0 : शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

- ✓ **महिला सम्बन्धित अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्रतम सजा दिलाई गई। यह प्रयास *मिशन शक्ति फेज़ 5.0* के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं न्याय के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।**
- ✓ **महिला सम्बन्धित अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना मदनापुर के मु0अ0सं0 307/2023, धारा 363, 376(डी) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया।**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार *मिशन शक्ति फेज़ 5.0* के तहत महिला सम्बन्धित जघन्य अपराधों में कठोर दंड सुनिश्चित कराने हेतु चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** के क्रम में शाहजहाँपुर पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय बरेली ज़ोन, बरेली एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली के मार्गदर्शन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। मॉनीटरिंग सेल, थाना मदनापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग के समन्वय से *माननीय न्यायालय ए.एस.जे. 43* में साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई।

परिणामस्वरूप –

थाना मदनापुर के अपराध में अभियुक्तगण:

1. **ओमेन्द्र गुप्ता उर्फ नन्हे** पुत्र संजीव गुप्ता निवासी ग्राम अठकोना थाना गुजरिया, जिला बदायूँ
2. **रामवीर** पुत्र रामचन्द्र निवासी कादराबाद थाना जूनाबाई, जनपद सम्भल

को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के अपराध में **प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड** से दंडित किया गया।

यह सफलता महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति पुलिस की **जीरो टॉलरेंस नीति** तथा *मिशन शक्ति* के अंतर्गत न्याय सुनिश्चित कराने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

1. ओमेन्द्र गुप्ता उर्फ नन्हे पुत्र संजीव गुप्ता निवासी ग्राम अठकोना थाना गुजरिया जिला बदायूं
2. रामवीर पुत्र रामचन्द्र निवासी कादराबाद थाना जूनाबाई जनपद

घटना व सजा का विवरण

थाना **मदनापुर**, जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 **307/2023**, धारा **363, 376(डी) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट** में पंजीकृत प्रकरण में अभियुक्तगण–

1. **ओमेन्द्र गुप्ता उर्फ नन्हे** पुत्र संजीव गुप्ता, निवासी ग्राम अठकोना थाना गुजरिया, जनपद बदायूँ।
2. **रामवीर** पुत्र रामचन्द्र, निवासी कादराबाद थाना जूनाबाई, जनपद सम्भल।

अभियुक्तों द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ **सामूहिक बलात्कार** किया गया था। *माननीय न्यायालय ए.एस.जे.-43* में मॉनीटरिंग सेल, थाना मदनापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, दोनों अभियुक्तों को **20-20 वर्ष का कठोर कारावास** एवं **15-15 हजार रुपये का अर्थदण्ड** की सजा से दंडित किया गया।

यह निर्णय महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति **पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता**, *मिशन शक्ति फेज़ 5.0* एवं **ऑपरेशन कन्विक्शन** की प्रभावी कार्यवाही का उत्कृष्ट उदाहरण है।